"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई 2020—श्रावण 7, शक 1942

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2020

छत्तीसगढ राज्य सरकार प्रत्याभृति नियम, 2020 (संशोधित)

क्रमांक 457/एफ-2019-04-5236/ब-4.—सरकार द्वारा प्रत्याभूति देने की रीति को विनियमित करने के लिए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

नियम

- 1. (एक) **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना** ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम, 2020 (संशोधित) कहलायेंगे.
 - (दो) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे,
 - (तीन) ये उन समस्त मामलों में, जहां राज्य सरकार, उधारों तथा उन पर ब्याज के प्रतिसंदाय के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन प्रत्याभृति देती है, लागू होंगे,
- 2. **शासकीय प्रत्याभूति की सीमा**—राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति की सीमा किसी एक वित्तीय वर्ष के लिये गत वित्तीय वर्ष के महालेखाकार के लेखे के अनुसार राज्य की स्वयं की राजस्व आय के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.
- 3. उधारों के लिए आवेदन-पत्र—
 - (एक) उधार लेने वाली संस्था प्रत्याभृति देने के लिए अपने प्रशासकीय विभाग को आवेदन करेंगी,
 - (दो) आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् ;
 - (क) उधार लेने वाली संस्था का नाम;
 - (ख) उधार देने वाली संस्था का नाम;
 - (ग) उधार लेने के लिए प्रस्तावित रकम जिसके लिए प्रत्याभृति चाही गई है;
 - (घ) ब्याज की दर:
 - (ड) लोक हित जिसकी कि उधार द्वारा पूर्ति की जाना प्रस्तावित है;

- (च) प्रतिसंदाय की कालावधि तथा अनुसूची ;
- (छ) क्या प्रत्याभूति की आवश्यकता केवल मूलधन के भुगतान के लिए है या मूलधन तथा ब्याज दोनों के भुगतान के लिए ;
- (ज) उस संस्था के, जिससे कि उधार लेने के लिए आवेदन किया जाना प्रस्तावित है और अन्य संस्था या सरकार के उधार जो कि उधार लेने वाली संस्था के नामे पहले से ही बकाया है तथा प्रतिसंदाय की अनुसूची ;
- (झ) विद्यमान उधार के प्रतिसंदाय में व्यतिकम का, यदि कोई हो, ब्यौरा
- (य) नकदी प्रवाह का विवरण जिसमें यह उपदर्शित किया गया हो कि विद्यमान
 उधारों तथा प्रस्तावित उधार का किस प्रकार प्रतिसंदाय किया जाना है;
- (ट) उधार लेने वाली संस्था की वित्तीय प्रास्थिति जैसी कि पिछली 3 वर्षों के उसके व्यापारिक लेखों, लाभ तथा हानि खातों, तुलन-पत्र में उपदर्शित की गई है;
- (तीन) आवेदन पत्र में दी गई विशिष्टियों के आधार पर, या अन्यथा, प्रशासकीय विभाग उधार लेने वाली संस्था के अंतिम तुलन-पत्र या अन्य अभिलेख की परीक्षा से अपना समाधान करेगा कि क्या उधार की प्रत्याभूति दी जानी चाहिए या नहीं और ऐसे समाधान के पश्चात् वह मामले को वित्त विभाग को छानबीन तथा सहमति के लिए अग्रेषित करेगा,
- (चार) प्रशासकीय विभाग से मामले की प्राप्ति पर वित्त विभाग इसकी परीक्षा करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाये कि उधार लेने वाली संस्था वित्तीय रूप से अच्छी है तथा प्रत्याभूति देने में कोई जोखिम अन्तर्वलित नहीं है तो यह प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा,
- (पांच) वित्तीय सहमित के पश्चात् प्रशासकीय विभाग मंत्रिपरिषद आदेश अभिप्राप्त करेगा और इस संबंध में शासकीय आदेश जारी करेगा, आदेश की एक प्रति महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर, को वित्त विभाग की मार्फत पहुंचाई जायेगी
- (छ:) साथ ही सिवाय उस मामले में जहां प्रत्याभूति सहकारी∕वाणिज्यिक बैंक को दी गई हो, राज्य शासन द्वारा प्रत्याभूति देने के पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ

इण्डिया, मुम्बई की सहमित अभिप्राप्त की जा सकेगी और ऐसा निर्देश वित्त विभाग की मार्फत भेजा जायेगा,

- 4. आदेश में सिम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां ऊपर नियम 2 में निर्दिष्ट शासकीय आदेश में प्रत्याभूत की जाने वाली रकम प्रत्याभूति की कालाविध, ब्याज की दर, क्या ब्याज का भुगतान भी प्रत्याभूत किया गया है, तथा प्रत्याभूति फीस की दर स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होगी ।
- 5. प्रत्याभृति फीस जब तक कि विनिर्दिष्टतः छूट प्राप्त न हों, वित्त विभाग के परामर्श से, समय-समय पर सरकार द्वारा विहित की गई दरों पर एवं तरीके तथा निर्धारित समयाविध में प्रत्याभूति फीस उधार लेने वाली संस्था से प्रभारित की जायेगी और शासकीय खातें में शीर्ष "0075 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें अन्य प्राप्तियां प्रत्याभृति फीस" के अधीन जमा की जायेगी ।
- 6. करार का निष्पादन (एक) सरकार के वित्तीय हित की रक्षा के लिए उन समस्त मामलों में जिनमें सरकार द्वारा उधार प्रत्याभूत किये गये हैं, प्रशासकीय विभाग को मूल ऋणी तथा लेनदार दोनों से पृथक-पृथक करार करना चाहिए, परन्तु ऐसा करार उन मामलों में आवश्यक नहीं होगा, जहां प्रत्याभूति कानूनी उपबंधों के अधीन दी गई हो, ऐसे करार की एक प्रतिलिपि वित्त विभाग को प्रज्ञापित करते हुए महालेखाकार, छत्तीसगढ़ को भेजी जावेगी,
 - (दो) इस प्रकार निष्पादित किये गये करार में यथासंभव निम्नलिखित शर्ते सम्मिलित होनी चाहिए, अर्थात् :-
 - (क) उधार लेने वाली संस्था के प्रबंध में सरकार का प्रतिनिधित्व ;
 - (ख) उधार लेने वाली संस्था की स्थावर संम्पित्तयों पर सरकार के पक्ष में प्रभार स्जित करके सहकारी हित सुरक्षित करना ;
 - (ग) उधार लेने वाली संस्था से नियतकालिक रिपोर्ट मंगाना ;
 - (घ) उधार लेने वाली संस्था के लेखाओं का सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने की शक्ति ;
 - (ड) प्रत्याभूतिदाता, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अध्याय आठ के अधीन उसे उपलब्ध समस्त अधिकारों का हकदार होगा,

- 7. प्रशासकीय विभाग में अभिलेख का रखा जाना संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने द्वारा दी गई समस्त प्रत्याभूतियों का एक पूर्ण अभिलेख रखेगा, जिसमें प्रतिसंदाय की नियत तारीखें, वह तारीख जिस पर प्रतिसंदाय वास्तविक रूप से किया गया है तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि सरकारी हित को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझी जाये, दर्शायी जायेगी ।
- 8. नियतकालिक रिपोर्ट प्रशासकीय विभाग प्रतिसंदायों पर निगरानी रखने हेतु स्वयं को समर्थ बनाने के लिए उधार लेने वाली संस्था द्वारा दी जाने वाली नियतकालिक रिपोर्ट विहित कर सकेगा ।
- 9. प्रतिसंदाय (एक) प्रशासकीय विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रतिसंदाय यथा समय किये गये है और यदि उधार लेने वाली संस्था भुगतान में व्यतिकम करती है तो प्रशासकीय विभाग शोध्य किस्त का तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा और उधार लेने वाली संस्था से ब्याज सहित रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही भी संस्थित करेगा ।
 - (दो) किसी व्यतिक्रमी संस्था से सरकार द्वारा प्रभारित की जाने वाली क्याज की दर उस दर से 2 प्रतिशत ऊंची होगी जिस पर कि सरकार को व्यतिक्रम की गई किस्त पर लेनदार को ब्याज का भुगतान करना पड़ा था।
- 10. व्यतिकम के मामले में वित्त विभाग की रिपोर्ट ऐसे समस्त मामलों के बारे में, जिनमें उधार लेने वाली संस्था ने प्रतिसंदाय करने में व्यतिकम किया था और सरकार को उसकी ओर से भुगतान करना पड़ा था प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग को तत्काल रिपोर्ट दी जायेगी.
- 11. निजी संस्था को कोई प्रत्याभूति नहीं राज्य सरकार की कोई प्रत्याभूति किसी प्राईवेट संस्था के पक्ष में प्रसामान्य रूप से नहीं दी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2020

CHHATTISGARH STATE GOVERNMENT GUARANTEE RULES, 2020 (AMENDED)

No. 457/F-2019-04-05236/B-4.- The State Government hereby makes the following rules for regulating the manner of giving guarantee by Government, namely:-

RULES

- 1. Short title commen
- cement and application (i) These rules may be called the Chhattisgarh State Government Guarantee Rules, 2020 (Amended)
 - (ii) They shall come into force at once.
 - (iii) They shall apply in all case where the State Government stands guarantee for repayment of loans and interest thereon under article 293 of the Constitution of India.
 - Ceiling of Government Guarantees The total Government guarantees given in a financial year shall not exceed hundred percent of the State's own revenue receipts in the preceding year as in the book of the Accountant General.
- Application for loans (i) The borrowing institution shall apply to its administrative department for grant/sanction of a guarantee.
- (II) The application shall contain the following particulars, namely:-
 - (a) Name of the borrowing institution;
 - (b) Name of the lending institution;
 - (c) The amount proposed to be borrowed for which guarantee is sought;
 - (d) Rate of interest;
 - (e) Public interest proposed to be served by the loan;
 - (f) Period and schedule of repayment;
 - (g) Whether the guarantee is needed only for the payment of principal or both for principal and interest;

- (h) Currently outstanding loans of the institution wherefrom the proposed loan is applied for, and also currently outstanding loans of other institution/govt against the borrowing institution, and their schedule of repayment;
- (i) Details of default, if any, in repayment of existing loans;
- (j) A cash flow statement indicating how the existing loans and the proposed loans are to be repaid;
- (k) Financial status of the borrowing institution as indicated by its trading accounts, profit and loss accounts, balance sheet for the previous 3 years.
- (iii) On the basis of the particulars furnished in the application, or otherwise, the administrative department shall satisfy itself from an examination of latest balance sheet or other record of the borrowing institution whether the loan should be guaranteed or not and after such satisfaction, will forward the case to the Finance Department for scrutiny and concurrence.
- (iv) On receipt of the case from the administrative department, the Finance Department shall examine it and if it is satisfied that the borrowing institution is financially sound and there is no risk involved in giving guarantee, it may agree to the proposal.
- (v) After financial concurrence, the administrative department shall obtain order of the Council of Ministers and issue Government order in this behalf. A copy of the order shall be endorsed to the Accountant General, Chhattisgarh, Raipur through the Finance Department.
- (vi) Simultaneously, the concurrence of Reserve Bank of India, Mumbai may be obtained prior to State Government giving guarantee except in the case when guarantee is given to a Co-operative/Commercial Bank and such a reference be routed through Finance Department.
- 4. Particulars to be included in the order The Government order referred to in rule 2 above shall specify clearly the amount guaranteed, the period of guarantee, rate of interest, whether interest payment is also guaranteed, and the rate of guarantee fee.

- 5. Guarantee Fee Unless exempted specifically, in consultation with the Finance Department, guarantee fees shall be charged from the borrowing institution at a rate, in a manner and within a time period specified by the Government from time to time. The fees shall be credited to the Government account under the head "0075 – Other General Economic Services- Other Receipts – Guarantee Fees"
- 6. Execution of agreement (i) In order to safeguard the Government's financial interest, in all cases in which loans are guaranteed by the Government, the administrative department should enter into a separate agreement both with the principal debtor and the creditor, provided that no such agreement shall be necessary in cases where the guarantee is given under statutory provisions. A copy of such agreement be sent to Accountant General, Chhattisgarh under intimation to Finance Department.
 - (ii) The agreement so executed should as far as possible include the following conditions, namely:-
 - representation of Government in the management of the borrowing institution;
 - securing of the Government interest by creating a charge in favour of the government on the immovable properties of the borrowing institution;
 - (c) calling periodical reports from the borrowing institution;
 - (d) power of inspection of accounts of the borrowing institution by officers to be nominated by the Government;
 - the guarantee shall be entitled to all rights available to the guarantor under chapter VIII of the Indian Contract Act, 1872;
- Maintenance of Record in the Administrative Department The concerned administrative department shall maintain a complete record of all guarantees given by it showing the due dates of repayment, the date on which repayments is actually made and such other particulars as may be considered necessary for securing Government interest.

- Periodical Reports In order to enable it to keep a watch on the repayments the administrative department may prescribe periodical reports to be furnished by the borrowing institution.
- 9. Repayment (i) It shall be the responsibility of the administrative department to ensure that repayments are made punctually and if the borrowing institution makes a default in payment, the administrative department shall repay the installments due without any delay and shall also institute steps to recover the amount together with interest from borrowing institution.
 - (ii) The rate of interest to be charged by the Government from a defaulting institution shall be 2% higher than the rate at which Government had to pay interest to the creditor on the defaulted installment.
- 10. Report to Finance Department in case of Default All cases where the borrowing institution had defaulted in making repayments and Government have had to make payments on its behalf shall forthwith be reported to the Finance Department by the Administrative Department.
- Guarantee to Private Institution No State Government guarantee shall normally be given in favour of a private institution.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATISH PANDEY, Joint Secretary.